निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 66/2022
दायरा दिनांकः–07.12.2022
निर्णय दिनांकः– 30.10.24

उनवान

1. कस्तुरी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम बडौदिया हाल निवासी लिम्बारी कुम्हारों का मोहल्ला झालारापाटन तहसील झालारापाटन जिला झालावाड राज0
2. मांगीलाल आयु 58 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी ग्राम बडौदिया हाल निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमंडी जिला झालावाड राज0

बनाम

1. राधाकिशन आयु 59 वर्ष आत्मज भंवरिया जाति बैरवा निवासी बडोदिया
2. अमरी बाई आयु 45 वर्ष पत्नि शंकरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम बडोदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः–30.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमराज कुशवाह – प्रार्थी
2. श्री राकेश गालव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम नीमथूर तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 82/81 खसरा नम्बर 187 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 188 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा कुल किता दो कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा एवं वाके ग्राम बड़ौदिया तहसील छबड़ा में खाता संख्या 62/62 की खसरा संख्या 50 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा खसरा संख्या 85 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा 14 संख्या 127 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा खसरा संख्या 134 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा संख्या 135 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा खसरा संख्या 136 रकबा 4 बीघा 18 विस्वा खसरा संख्या 137 रकबा 02 बिस्वा खसरा संख्या 138 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 139 रकबा बीघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 140 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा खसरा संख्या 141 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा खसरा संख्या 142 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा आराजियात अवस्थित हैं तथा उपरोक्त आराजियात में प्रार्थी का हिस्सा 1/3 मुताबिक जमाबंदी खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है तथा अप्रार्थी क्रमांक 1 का हिस्सा 1/2 एवं अप्रार्थीया कमांक 2 अमरीबाई का हिस्सा 1/6 दर्ज जमाबंदी हैं तथा उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कमांक 1 व 2 की शामलाती खातेदारी की आराजियात है

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जिसमें प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उपरोक्त आराजियात को इस प्रार्थना पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात का प्रार्थीगण व अप्रार्थी कमांक 1 व 2 के मध्य विधिवत बंटवारा कराने बाबत प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कमांक 1 व 2 से कई बार निवेदन किया, परन्तु अप्रार्थी कमांक 1 व 2 प्रार्थीगण के निवेदन पर ध्यान न देकर हमेशा टालमटोल भरा जवाब देते रहे। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कमांक 1 व 2 के मध्य आपस में विधिवत रूप से बंटवारा नहीं होने के कारण प्रार्थीगण तअप्रार्थी कमांक 1 व 2 के मध्य आपस में अपने अपने हिस्से की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है तथा दिनांक 27/10/22 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 से निवेदन किया कि उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात का विभाजन अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी के आधार पर हमें आपसी सहमति से कराकर सीमाबंदी कर लेना चाहिए ताकि हमेशा के विवाद समाप्त हो जाये परन्तु अप्रार्थी क्रमांक 1 व 2 ने उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात का विभाजन करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि वे प्रार्थीगण के हिस्से की आराजियात पर भी कब्जा करके रहेगें तथा इस कृषि वर्ष में प्रार्थीगण को फसल भी नहीं बोने देंगें और प्रार्थीगण को उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात में उनके हिस्से से महरूम करके रहेगें। प्रार्थीगण उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से 1/3 का विधिवत अच्छी में से अच्छी व बूरी में से बूरी के आधार पर विभाजन कराकर सीमाबंदी कराने व अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त विवादित विवादग्रस्त आराजियात में अपने हिस्से के संदर्भ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करने व प्रार्थीगण को उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात में उनके हिस्से से महरूम नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 82 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम नीमथूर नकल जमाबन्दी ग्राम बडोदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 62 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नीमथूर व बडोदिया में स्थित है। जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण से विवादित आराजी का बटवारा कराने को कहा परन्तु बटवारे के लिए सहमत नही हुए। बिना बटवारा के पक्षकारान में हमेशा विवाद बना रहता है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहतें है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। त्था ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन ळै कि प्रार्थी द्वारा एक वाद और इस न्यायालय में वाद संख्या 75/16 उनवान मांगीलाल बनाम राधाकिशन विचाराधीन है जो वर्तमान में साक्ष्य की स्टेज पर है विवादित भूमि से सम्बन्धित उक्त वाद एवं वाद संख्या 75/16 के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण समान है विवादित भूमि समान है प्रार्थना पत्र व वाद पत्र समान होने के कारण एक ही विषय वस्तु से सम्बन्धित उन्ही पक्षकारों के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बीच उसी न्यायालय मे दुसरा वाद पेश नही किया जा सकता है इस प्रकार के दावों मे धारा 11 सी0पी0सी0 स्टोपल का सिद्धन्त लागु होता है विवादित आराजी अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की पैत्रक सम्पत्ति है प्रार्थीगण छबडा से बाहर निवास करते है इसलिए सम्पूर्ण आराजी को अप्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ जाने के कारण नाम खातेदारी में होने का नाजायज फायदा उठा कर भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्राथी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नीमथूर सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 82 में प्रार्थीगण का 1/3 एवं राधाकिशन का 1/2 तथा अमरीबाई का हिस्सा 1/6 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बडोदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 62 में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 अप्रार्थी क्रम 1 का हिस्सा 1/2 तथा अप्रार्थी क्रम 2 का हिस्सा 1/6 दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है भूमि का विभाजन नही हुआ इसलिए प्रत्येक खसरा नम्बर पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योगय नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा